सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 124 राँची, शुक्रवार, 27 माघ, 1939 (श०)
16 फरवरी, 2018 (ई०)

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

अधिसूचना

15 फरवरी, 2018

संख्या-09/आरोप-राँची-124/2017-618-- सी.बी.आई./ई.ओ.डब्लु./राँची काण्ड संख्या-आर.सी. 02 (एस.)/2014- ई.ओ.डब्लु-आर.में केन्द्रीय जाँच ब्यूरो द्वारा श्री अविनाश कुमार, तत्कालीन अवर निबंधक, शहरी क्षेत्र सं०-3 (काँके प्रक्षेत्र) राँची सम्प्रति सहायक निबंधन महानिरीक्षक, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के विरूद्ध मौजा-बजरा, राँची के खाता नं०-146, प्लॉट नं०-608 की 0.74 डी. अधिकाई भूमि के निबंधन के मामले में अपनी भूमिका में चूक के कारण RDA for Minor penalty की अनुशंसा की गयी । सी.बी.आई. द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में विभागीय पत्रांक-3837/रा., दिनांक 8 जुलाई, 2016 द्वारा उपायुक्त, राँची से श्री कुमार के विरूद्ध साक्ष्य सहित आरोप प्रपत्र 'क' गठित कर उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया ।

2. उपायुक्त, राँची के पत्रांक-955/नि., दिनांक 1 दिसम्बर, 2017 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि ''जिला अवर निबंधक, राँची के द्वारा अवर निबंधन कार्यालय, शहरी क्षेत्र सं०-3 (काँके प्रक्षेत्र), राँची में संधारित अभिलेखो की जाँच करायी गयी । श्री अविनाश कुमार, तत्कालीन अवर निबंधक के

द्वारा एक (01) दस्तावेज का निबंधन किया गया । सी.बी.आई. के जाँच प्रतिवेदन एवं कार्यालय अभिलेख के मिलान दोनों से ही यह स्पष्ट होता है । दस्तावेज में Vender श्री उमेश साहु, Power holder श्री सुजीत गोस्वामी के द्वारा मौजा-बजरा, खाता सं०-146, प्लॉट नं०-608, रकबा-1.51 डी. संबंधी दस्तावेज का निबंधन किया गया है । दस्तावेज में निष्पादक को 44 डी. भूमि बेचने का अधिकार प्राप्त है जिसमें से मात्र 1.51 डी. भूमि का विक्रय दस्तावेज निष्पादित किया गया है । यह निबंधन श्री अविनाश कुमार, तत्कालीन अवर निबंधक के द्वारा अवर निबंधन कार्यालय, शहरी क्षेत्र सं०-3 (काँके प्रक्षेत्र), राँची में निष्पादित किया गया है । बाकी अन्य निबंधन तत्कालीन जिला अवर निबंधक श्री सहदेव मेहरा द्वारा जिला निबंधन कार्यालय, राँची में किया गया है ।

इसके अतिरिक्त उक्त पावर ऑफ अटॉर्नी से उक्त कार्यालय में किसी भी अन्य दस्तावेज के निबंधन का कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है । अतः अतिरिक्त निबंधन का मामला नहीं बनता है एवं प्रपत्र 'क' गठित किया जाना संभव नहीं है ।''

3. सी.बी.आई. से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं उपायुक्त, राँची के पत्रांक-955/नि., दिनांक 1 दिसम्बर, 2017 के आलोक में सम्यक समीक्षोपरांत श्री अविनाश कुमार, तत्कालीन अवर निबंधक, शहरी क्षेत्र सं०-3 (काँके प्रक्षेत्र), राँची के विरूद्ध आरोप के संदर्भित मामले को संचिकास्त किया जाता है ।

इस पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है ।

ह०/-

राम कुमार सिन्हा,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 124 -- 50